4, 5 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाना तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा गौराउ के खेत खसरा नंबर 1150/447,1152/217,341, 446 में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3329 दिनांक 19.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी मदनलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 341 में से 0.8741 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खसरा नंबर 1150/447 0.0567 हैक्टेयर गैर मुमकिन आवासीय पूरा , खसरा नंबर 446 रकबा में से 0.00081 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा रखा गया है।
2. वादी संख्या 1 रामदेव के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 341 में से 0.8742 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खसरा नंबर 1152/217 (गैर मुमकिन आवासीय) पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 तिलोक स्वामी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 341 में से 0.8822 हैक्टेयर मध्य भाग तथा खसरा नंबर 446 में से 0.0081 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा पश्चिमी भाग रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 बंशीदास वृद्व व्यक्ति है जिनकी उम्र 76 वर्ष है जिन्होने अपना बंट नहीं रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के हक बंट में मुतदाविया भूमि में सें कोई बंट नहीं रखा गया है। इसलिये मुतदाविया खेतायों में प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 का नियमानुसार रखा गया है। इसलिये मुतदाविया खेतायों में प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 का नियमानुसार रखा गया है।

स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 28/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/9/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner